न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, शाहपुरा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 18/2024 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री नन्दकिशोर कुमावत पुत्र गोवर्धन लाल कुमावत निवासी फूलियाकलां, तहसील फूलियाकलां, जिला शाहपुरा।

—अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा।

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07.11.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां के विरूद्ध दिनांक 25.09.2024 को प्राप्त हुआ। जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 62 एफ 475362 के साथ एक आवेदन दिनांक 29.07.2024 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.10.2024 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां द्वारा कार्यालय के पत्रांक राजस्व/सू.का.अ./2024/1364 दिनांक 06.11.2024 से जवाब प्राप्त हुआ।

3. प्राप्त जवाब के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब कार्यालय तहसीलदार फूलियाकलां के पत्रांक राजस्व/सू.का.अ./2024/1251 दिनांक 27.09.2024 से अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गयी है, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर कर दी गई।

4. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील में अब अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

5. आदेश आज दिनांक 07.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी

जिला कलक्टर
शाहपुरा

एडवोकेट–

एडवोकेट–